| |
|---|
| दिनांक 30.07.2026 |
| प्रेस विज्ञप्ति 406/2026 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

**<u>कांवड़ यात्रा–2026 एवं श्रावण शिवरात्रि के दृष्टिगत मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में बरेली जोन के अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न</u>**

- मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक ने बरेली जोन के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ आगामी कांवड़ यात्रा-2026 की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था एवं तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।
- एडीजी जोन बरेली, पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली एवं मुरादाबाद परिक्षेत्र तथा सभी जनपदों के अधिकारियों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, यातायात प्रबंधन, संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एवं अंतर्विभागीय समन्वय पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया।
- मुख्य सचिव ने **"Zero Incident, Zero Accident" लक्ष्य के साथ श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम एवं सकारात्मक अनुभव उपलब्ध कराने** तथा स्वच्छता, चिकित्सा, पेयजल, विद्युत एवं अन्य नागरिक सुविधाओं की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
- पुलिस महानिदेशक ने कहा कि **"सामान्य दिनों में छोटी प्रतीत होने वाली कोई भी घटना कांवड़ यात्रा के दौरान गंभीर परिणाम का कारण बन सकती है। इसलिए प्रत्येक घटना पर पुलिस एवं प्रशासन की प्रतिक्रिया त्वरित, संतुलित एवं प्रभावी होना अत्यंत आवश्यक है।"**
- पुलिस महानिदेशक ने निर्देशित किया कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों का व्यवहारिक प्रशिक्षण (Behavioural Training) अनिवार्य रूप से कराया जाए।
- विगत वर्षों की घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर सड़क सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था, यातायात, भीड़ नियंत्रण एवं अन्य व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करते हुए "Zero Incident, Zero Accident" के लक्ष्य को प्राप्त करने पर विशेष बल दिया गया।
- पुलिस महानिदेशक ने **जनपद रामपुर द्वारा विकसित 'कांवड़ जत्था एप'** की सराहना करते हुए एडीजी, बरेली जोन को तकनीकी सेवाएं के सहयोग से जोन एवं जनपद स्तर के कंट्रोल रूम पर कांवड़ जत्थों की रीयल टाइम मॉनिटरिंग हेतु एकीकृत व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए।
- पुलिस महानिदेशक ने जोनल कार्यालय में **) सेवानिवृत्त पुलिस पोर्टल"Police Veterans Portal)"** का शुभारंभ, रिजर्व पुलिस लाइंस बरेली में **नवनिर्मित बास्केटबॉल कोर्ट एवं नवीनीकृत मीटिंग हॉल का उद्घाटन, कांवड़ यात्रा की मॉनिटरिंग हेतु स्थापित नवीन जोनल कंट्रोल रूम का शुभारम्भ** तथा मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक द्वारा **वृक्षारोपण किया गया।**

माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा आगामी **कांवड़ यात्रा–2026 एवं श्रावण शिवरात्रि** के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम, निर्विघ्न एवं दुर्घटनामुक्त यात्रा सुनिश्चित करने हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में आज दिनांक **30-07-2026** को **सर्किट हाउस, बरेली**

में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश श्री **शशि प्रकाश गोयल** एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश श्री **राजीव कृष्ण** की संयुक्त अध्यक्षता में **बरेली जोन** के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा–2026 एवं श्रावण शिवरात्रि के दृष्टिगत कानून-व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था एवं की गयी तैयारियों के सम्बन्ध में विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में **अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, आयुक्त बरेली मंडल, पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र, आयुक्त मुरादाबाद मंडल, पुलिस उपमहानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र** तथा **जनपद बरेली, बदायूँ, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, बिजनौर, सम्भल, रामपुर एवं अमरोहा** के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे। बैठक में एडीजी जोन बरेली, पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली एवं मुरादाबाद परिक्षेत्र तथा सभी जनपदों के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी कांवड़ यात्रा एवं श्रावण शिवरात्रि के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग तथा समन्वित कार्ययोजना के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए **मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश** ने कांवड़ यात्रा-2026 की तैयारियों पर संतोष व्यक्त करते हुए सभी अधिकारियों को बधाई दी तथा कहा कि इस वर्ष "Zero Incident, Zero Accident" के लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक श्रद्धालु उत्तर प्रदेश से सुरक्षित, संतुष्ट एवं सकारात्मक अनुभव लेकर लौटे।

उन्होंने निर्देशित किया कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ घाटों, चेंजिंग रूम, शौचालयों, स्वच्छता, पेयजल, चिकित्सा सुविधाओं, एम्बुलेंस, विद्युत आपूर्ति तथा अन्य नागरिक सुविधाओं की निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जाए। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए श्रद्धालुओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराएं तथा आम नागरिकों को भी न्यूनतम असुविधा हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

**पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा** कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी छोटी घटना को सामान्य घटना मानकर नहीं देखा जा सकता। **"सामान्य दिनों में छोटी प्रतीत होने वाली कोई भी घटना कांवड़ यात्रा के दौरान गंभीर परिणाम का कारण बन सकती है। इसलिए प्रत्येक घटना पर पुलिस एवं प्रशासन की प्रतिक्रिया त्वरित, संतुलित एवं प्रभावी होना अत्यंत आवश्यक है।"**

उन्होंने निर्देशित किया कि सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की केवल ब्रीफिंग ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक प्रशिक्षण (Behavioural Training) भी सुनिश्चित किया जाए, जिससे प्रत्येक अधिकारी अपने दायित्वों, स्थानीय परिस्थितियों एवं संभावित घटनाओं के प्रति स्पष्ट समझ विकसित कर मौके पर प्रभावी निर्णय ले सके। उन्होंने कहा कि संवाद, प्रशिक्षण एवं त्वरित संचार ही किसी भी बड़े आयोजन की सफलता और असफलता के बीच का सबसे महत्वपूर्ण अंतर सिद्ध होते हैं।

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि "Zero Incident, Zero Accident" केवल एक नारा नहीं, बल्कि सभी अधिकारियों का कार्य लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए विगत वर्षों में घटित प्रत्येक घटना एवं दुर्घटना के मूल कारणों का विश्लेषण करते हुए सड़क सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं में समय रहते सुधार सुनिश्चित किया जाए।

पुलिस महानिदेशक ने जनपद **रामपुर द्वारा काँवड़ यात्रा के सकुशल सम्पादन हेतु विकसित 'कांवड़ जत्था एप' की सराहना** करते हुए कहा कि इसके माध्यम से कांवड़ जत्थों की रीयल टाइम मॉनिटरिंग प्रभावी रूप से की जा सकती है। उन्होंने अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन को उत्तर प्रदेश तकनीकी सेवाएं की टीम के साथ समन्वय स्थापित कर इस एप के आधार पर ऐसा एकीकृत सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए, जिससे जोन एवं जनपद स्तर के कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर कांवड़ जत्थों की संख्या, उनके मार्ग, प्रवेश समय तथा आवाजाही की अद्यतन जानकारी रीयल टाइम में उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से भीड़ प्रबंधन, संसाधनों की समयबद्ध तैनाती तथा अग्रिम कार्ययोजना )Forward Planning) को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि यात्रा की सफलता में कंट्रोल रूम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने निर्देशित किया कि कंट्रोल रूम में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि वे केवल सीसीटीवी निगरानी तक सीमित न रहकर परिस्थितियों का समग्र विश्लेषण करते हुए समयबद्ध एवं प्रभावी निर्णय सुनिश्चित कर सकें।

उन्होंने विभिन्न खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं का गंभीरतापूर्वक विश्लेषण करते हुए बीट पुलिस, स्थानीय अभिसूचना तंत्र एवं अन्य संबंधित इकाइयों के बीच निरंतर समन्वय बनाए रखने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अंत में पुलिस महानिदेशक ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी अधिकारी समन्वित टीम भावना, सतत संवाद एवं प्रभावी पुलिसिंग के माध्यम से आगामी कांवड़ यात्रा-2026 एवं श्रावण शिवरात्रि को सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न कराते हुए श्रद्धालुओं के साथ-साथ आम नागरिकों की सुविधा भी सुनिश्चित करेंगे।

बैठक के उपरांत पुलिस महानिदेशक द्वारा जोनल कार्यालय पहुंचकर अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन, श्री रमित शर्मा की पहल पर विकसित **'सेवानिवृत्त पुलिस पोर्टल )Police Veterans Portal)'** का शुभारंभ किया गया। यह पोर्टल सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों एवं उनके आश्रितों के कल्याण, सुरक्षा तथा विभाग के साथ निरंतर संवाद एवं समन्वय बनाए रखने के उद्देश्य से विकसित एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है।

**तत्पश्चात पुलिस महानिदेशक ने रिजर्व पुलिस लाइंस, बरेली** पहुँचकर नवनिर्मित **बास्केटबाल कोर्ट, नवीनीकृत मीटिंग हॉल का उद्घाटन एवं श्रावण मास/कांवड़ यात्रा की मॉनिटरिंग हेतु रिजर्व पुलिस लाइंस, बरेली में अधिष्ठापित नवीन जोनल कंट्रोल रूम का शुभारम्भ** किया गया, अत्याधुनिक जोनल कंट्रोल रूम के माध्यम से एक साथ CCTV फ़ीड, टीवी चैनल एवं सोशल मीडिया को देखने की सुविधा उपलब्ध है जिसे जनपदवार अलग अलग ग्रिडों में विभाजित किया गए है ।

अन्त में मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा **पुलिस लाइन में वृक्षारोपण** किया गया ।

## **'कांवड़ जत्था ऐप' के मुख्य उद्देश्य व विशेषताएँ**

**उद्देश्य:-** इस ऐप का मुख्य **उद्धेश्य** कावड़ियों के अपने घर से प्रस्थान कर जल लेकर वापस आने तक मार्ग में होने वाली समस्या का निदान करना एवं कावड़ियों की कुशलता की जानकारी रखना है।

**विशेषताएं:-**

- **रियल-टाइम लोकेशन ट्रैकिग:** कांवड़ जत्थों की समय-समय पर सटीक भौगोलिक लोकेशन ट्रैकिंग हेतु विशेष व्यवस्था।
- **अंतर-जनपदीय ट्रैकिग (Inter-District Tracking):** जनपद से प्रस्थान करने वाले जत्थों की अन्य जनपदों/मार्गों में भी निर्बाध ट्रैकिंग सम्भव।
- **त्वरित समस्या निवारण (Grievance Redressal):** रास्ते में चिकित्सा, भोजन, मार्ग भटकने या सुरक्षा संबंधी किसी भी समस्या की सीधे जनपद कंट्रोल रूम को सूचना।
- **इमरजेंसी एसओएस (SOS Alert):** किसी आपात स्थिति में एक क्लिक पर पुलिस सहायता व एम्बुलेंस लोकेशन टैगिंग।

## **Police Veterans Portal (सेवानिवृत्त पुलिस पोर्टल, बरेली जोन(**

**परिचय:**

*Police Veterans Portal* बरेली जोन द्वारा विकसित एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है

**मुख्य उद्देश्य**

- सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों एवं उनके आश्रितों के साथ विभाग का नियमित संपर्क एवं संवाद बनाए रखना।
- उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना।
- पुलिस परिवार में आत्मीयता, सम्मान, सुरक्षा एवं विश्वास की भावना को सुदृढ़ करना।
- कानूनव्यवस्था एवं सामुदायिक पुलिसिंग में सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के अनुभव का - सकारात्मक उपयोग करना।

**प्रमुख विशेषताएँ**

- **नियमित संपर्क प्रणाली:** प्रत्येक थानाजनपद द्वारा निर्धारित अवधि पर सेवानिवृत्त पुलिस / कर्मियों से संपर्क कर अद्यतन विवरण पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा।
- **समस्या निस्तारण:** स्वास्थ्य, पेंशन, सुरक्षा एवं परिवार से संबंधित समस्याओं के त्वरित एवं प्राथमिकता आधारित निस्तारण की व्यवस्था।
- **आपातकालीन संपर्क:** स्वास्थ्य, सुरक्षा अथवा अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में सेवानिवृत्त कर्मियों से तत्काल संपर्क की सुविधा।
- **In-House Development:** पोर्टल का विकास पूर्णतः विभागीय स्तर पर किया गया है।
- **स्थानीय सर्वर:** पोर्टल का सर्वर जोन कार्यालय, बरेली में स्थापित किया गया है, जिससे डेटा की सुरक्षा एवं त्वरित संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

काँवड़ यात्रा 2026
मण्डलीय समीक्षा बैठक
मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश
30 जुलाई, 2026
स्थान : सर्किट हाउस, बरेली
अलखनाथ मन्दिर

काँवड़ यात्रा 2026
मण्डलीय समीक्षा बैठक
मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश
स्थान : सर्किट हाउस, बरेली

''संकल्प-सभागार'' रिजर्व पुलिस लाईन्स
का उद्घाटन
राजीव कृष्णा
उत्तर प्रदेश के कर
दिनांक 30.07.2026 को सम्पन्न
श्री अजय कुमार साहनी
आई.पी.एस.
पुलिस उपमहानिरीक्षक
बरेली परिक्षेत्र, बरेली
शिवम आशुतोष
आई.पी.एस.
जनपद बरेली
श्रीमती अंशिका
जनपद बरेली

RAJEEV KRISHNA

RAJEEV KRISHNA

श्री
कृष्णा

LAUNCH CEREMONY BY
Shri Rajeev Krishna, IPS
Director General of Police, Uttar Pradesh
Police Veterans Portal
https://policeveterans.in

संकल्प सभागार
रिजर्व पुलिस लाइन्स - जनपद बरेली

| |
|---|
| दिनांक 30.07.2026 |
| प्रेस विज्ञप्ति 407/2026 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## जनपद जालौन/थाना कोतवाली उरई

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 29.07.2026 को थाना कोतवाली उरई पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–मोहित सहित 2–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त मोहित थाना कोतवाली उरई पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु रेन्ज स्तर पर 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली उरई पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–मोहित निवासी ग्राम शामलों कलां थाना जुलाना जनपद जींद हरियाणा हालपता–न्यू कृष्णा कालोनी थाना सिटी जींद, हरियाणा।

2–अभियुक्ता।

## जनपद झांसी/थाना नवाबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 30.07.2026 को थाना नवाबाद व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नई जे0डी0ए0 कालोनी मुस्तरा रोड के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित

अभियुक्त हुसैन उर्फ खड्डा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नवाबाद पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद झांसी के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नवाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–हुसैन उर्फ खड्डा निवासी सिद्धेश्वर नगर आईटीआई थाना सीपरीबाजार जनपद झांसी।

**बरामदगी**

1–01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल।

**जनपद चन्दौली/थाना इलिया**

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 30.07.2026 को थाना इलिया व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम माल्दह के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रामबाबू उर्फ आनन्द को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त इलिया पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद चन्दौली, कमिश्नरेट प्रयागराज के विभिन्न थानों पर सीएस एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना इलिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1– रामबाबू उर्फ आनन्द निवासी नैपुराकला थाना लंका, वाराणसी।

**जनपद बहराइच/थाना पयागपुर**

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 02 लाख 10 हजार 400 रूपये नगद**
- **01 पीओएस मशीन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 30.07.2026 को थाना पयागपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मसडी चौराहा के पास से 04 अभियुक्तों 1–मो0सहबान 2–सूर्यकुमार 3–जयसिंह 4–बीरेन्द्र प्रताप को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 02 लाख 10 हजार 400 रूपये नगद, 01 पीओएस मशीन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.07.2026 को थाना पयागपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पयागपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना पयागपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–मो0सहबान निवासी शिवदहा थाना पयागपुर जनपद बहराइच।

2–सूर्यकुमार निवासी ग्राम लखाहीपुतलीतारा थाना पयागपुर जनपद बहराइच।

3–जयसिंह निवासी ग्राम लखाहीपुतलीतारा थाना पयागपुर जनपद बहराइच।

4–बीरेन्द्र प्रताप निवासी ग्राम लखाहीपुतलीतारा थाना पयागपुर जनपद बहराइच।

**बरामदगी**

1—लूट के 02 लाख 10 हजार 400 रूपये नगद।

2—01 पीओएस मशीन।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4—02 मोटर साइकिल आदि।

**जनपद सहारनपुर/थाना गंगोह**

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 06 लाख 40 हजार रूपये नगद**
- **चोरी का 01 मोबाइल फोन**
- **चोरी के पैसो से खरीदा गया 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 29.07.2026 को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बाहुद्दीन कस्बा गंगोह के पास से अभियुक्त बिलाल को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 06 लाख 40 हजार रूपये नगद, चोरी का 01 मोबाइल फोन, चोरी के पैसो से खरीदा गया 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना गंगोह क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गंगोह पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना गंगोह पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—बिलाल निवासी मोहल्ला बाहुद्दीन कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

**बरामदगी**

1–चोरी के 06 लाख 40 हजार रूपये नगद।

2–चोरी का 01 मोबाइल फोन।

3–चोरी के पैसो से खरीदा गया 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल आदि।

**जनपद सहारनपुर/थाना तीतरों**

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 85 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 425 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनांक 30.07.2026 को थाना तीतरों पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रादौर रोड के पास से अभियुक्त साजिद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 85 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 425 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना तीतरों पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–साजिद निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

**बरामदगी**

1–लगभग 85 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 425 ग्राम अवैध स्मैक।

➢ **जनपद बस्ती/थाना दुबौलिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को कठोर आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 10 हजार 500 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना दुबौलिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/342 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–विनोद 2–अभियुक्ता को कठोर आजीवन कारावास व प्रत्येक को 10 हजार 500 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना खैरीघाट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना खैरीघाट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त पृथ्वीराज को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बलिया/थाना नरही (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 32 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना नरही पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 6, 10 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त प्रशान्त राय को 25 वर्ष के सश्रम कारावास व 32 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद शाहजहाँपुर/थाना गढिया रंगीन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01–01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना गढ़िया रंगीन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 17(ग) एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रूपसिंह 2–वीरेन्द्र 3–विजय को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास व 01–01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना रॉबर्ट्सगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठिन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सन्तोष को 10 वर्ष के कठिन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कौशाम्बी/थाना सैनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 22 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना सैनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/279/337/338 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अवधेश कुमार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 22 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————